राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2199/2025

राजबाला यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.03.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र वर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में उप प्राचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पडासोली में स्थानान्तण किया गया, जो जयपुर से लगभग 72 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.02.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था तथा अपीलार्थी ने दिनांक 28.02.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को उप–प्राचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर से व्याख्याता (इतिहास), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीमती भगवान देवी बाजोरिया, नाहरी का नाका, जयपुर में निम्न पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया। आदेश को 38 दिनों तक गुप्त तरीके से रखा गया तथा अपीलार्थी को

इसकी तामील नहीं कराई गई। अपीलार्थी को 1 महीना 8 दिन से अधिक समय के बाद आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 27.02.2025 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, किन्तु अपील के लम्बित रहने के दौरान दिनांक 30.01.2025 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी को उप प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर के पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.2025 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपने स्थानान्तरण आदेश को संशोधित करने तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर में उप प्राचार्य के पद पर कार्य करने की अनुमति देने के लिए आवेदन भी दायर कर निवेदन किया कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर में उप प्राचार्य का पद रिक्त है तथा उक्त पद के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। आदेश दिनांक 03.03.2025 (अनुलग्नक–8) द्वारा दिनांक 27.02.2025 में आंशिक संशोधन किया गया, जिसमें एक कर्मचारी नीतू तंवर का हल्दीराम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम सूरसागर, बीकानेर निर्धारित किया गया था क्योंकि वह पहले वही पदस्थापित थी। इसी प्रकार अपीलार्थी को भी आदेश दिनांक 30.01.2025 के अनुसार उप प्राचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर के पद पर पदस्थापित किया गया था।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को उप प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 27.02.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मानसरोवर, जयपुर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पडासोली में किया गया है। पहले अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 30.01.2025 द्वारा उप प्राचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मानसरोवर जयपुर में समायोजित किया गया। ऐसी स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.02.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जो आलोच्य आदेश जारी होने से पहले कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य